ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996

डाक–व्यय की पूर्व–अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजें जाने के लिए अनुमत. अनुमति–पत्र क्र. भोपाल–505 / डब्ल्यू.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम.पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568 भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 1996–पौष 9, शके 1918

## विधि और विधायी कार्य विभाग

**भोपाल दिनांक 30 दिसम्बर 1996**

क्र. 14011–इक्कीस–अ(प्रा.)– मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर 1996 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर.के. सिटोके., उपसचिव**

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 1996

## ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996

## विषय सूची

**धाराएं :–**


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं,
3. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन
4. प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना
5. प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी
6. व्यापाार मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण
7. प्राधिकरण द्वारा किराये का उद्ग्रहण
8. अनुज्ञप्ति मुजूर करने की शक्ति
9. व्यापार मेला क्षेत्र से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति
10. प्राधिकरण की निधि
11. वार्षिक रिपोर्ट
12. शास्तियां
13. सदस्यों की उन्मुक्ति
14. उपविधियां विरचित करने की शक्ति
15. नियम बनाने की शक्ति
16. निरसन

# मध्यप्रदेश अधिनियम

**क्रमांक 22 सन् 1996**

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996

**(दिनांक 28 दिसम्बर, 1996 को राज्य की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में दिनांक 30 दिसम्बर 1996 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)**

ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996 है — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय–समय पर ग्वालियर व्यापारिक मेला क्षेत्र के रूप में निश्चित किया जाए।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो – परिभाषाएं

(एक) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित किया गया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण;

(दो) ''व्यापार मेला'' से अभिप्रेत है ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाला व्यापार, औद्योगिक, कृषि पशु मेला या कोई अन्य मेला जिसे राज्य सरकार ¼4½ द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

3. (1) राज्य सरकार, व्यापार मेला के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। — ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन

(2) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभारी मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा;

(दो) आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो उपाध्यक्ष होगा;

(तीन) वाणिज्य तथा व्यापार का एक प्रतिनिधि ;

(चार) कला एवं संस्कृति क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ;

(पांच) उद्योग का एक प्रतिनिधि;

(छह) लोक सभा का ऐसा सदस्य जो कि व्यापार मेला क्षेत्र में पूर्णतः या भागतः पड़ने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है;

(सात) विधान सभा का सदस्य जो कि व्यापार मेला क्षेत्र में पूर्णतः या भागतः पड़ने वाले विधान सभा निवार्चन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(आठ) नगर पालिक निगम, ग्वालियर का महापौर ;

(नौ) जिला पंचायत, ग्वालियर का अध्यक्ष;

(दस) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि;

(ग्यारह) कलेक्टर, ग्वालियर ; (5)

(बारह) आंचलिक (जोनल) उद्योग अधिकारी, ग्वालियर ;

(तेरह) जिला उद्योग केन्द्र, ग्वालियर का महाप्रबंधक जो सचिव होगा;

(चौदह) विभिन्न क्षेत्रों में के तीन सामाजिक कार्यकर्त्ता;

(4) समस्त अशासकीय सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाऐंगे और यह उस तारीख से जिसकी कि वह पदभार ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा.

(5) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.

(6) अशासकीय सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना

4. यदि राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण में किसी सदस्य का बना रहना अवांछनीय है, तो राज्य सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे सदस्य को, उसके लिए कोई कारण बताए बिना हटा दें.

प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

**5.** (1) प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो कि उसके कृत्यो के दक्षातपूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो.

(2) प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और अन्य निर्बन्धन तथा शर्ते ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए.

व्यापार मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण

6. जैसे ही राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन प्राधिकरण का गठन कर दिया जाता है, ग्वालियर मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण और ग्वालियर मेला समिति जो प्राधिकरण के (6)
गठन के समय ग्वालियर मेला का प्रबंध कर रही है, की आस्तियां तथा दायित्व, यदि कोई, और उसके साथ उसकी समस्त निधियां, यदि कोई हो, प्राधिकरण को संक्रान्त हो जाएंगी तथा उसमें निहित हो जाएंगी।

प्राधिकरण द्वारा किराये पर उद्ग्रहण

7. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या व्यापार मेला क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण व्यापार मेला की कालावधि, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, के दौरान उक्त क्षेत्र में समाविष्ट भूमि के लिए ऐसा किराया उद्गृहित कर सकेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विरचित की जाने वाली उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

अनुमति मंजूर करने की शक्ति

8. प्राधिकरण ऐसी फीस, विहित कर सकेगा जिसका भुगतान करने पर, और ऐसी शर्ते विहित कर सकेगा जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस बात के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि वह व्यापार मेला की कालावधि के दौरान व्यापार मेला क्षेत्र में किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका कर सकेगा.

व्यापार मेला क्षेत्र से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति

9. यदि किसी ऐसे अधिकारी का, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित विशेष रूप से सशक्त किया गया है, यह समाधान हो जाता है कि व्यापार मेला क्षेत्र में किसी स्टाल या जगह पर अधिभोग रखने वाला कोई व्यक्ति उस स्टाल या जगह पर अनधिकृत अधिभोग रखे हुए है या वह अधिभोग रखने के प्राधिकार के समाप्त हो जाने पर भी स्टाल या जगह

पर अधिभोग रखे हुए है तो वह प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी से ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जैसा अध्यपेक्षा में उल्लिखित किया जाए, स्टाल या जगह को खाली कर दे और ऐसा व्यक्ति ऐसी शक्ति के अतिरिक्त जिसका कि वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, स्टाल या जगह से संक्षेपतः हटाया जा सकेगा।

10. (1) प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया समस्त धन या उसको प्रोद्भूत हुई आय एक निधि में जमा की जाएगी जिसका नाम ''ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निधि'' होगा. प्राधिकरण की निधि

(2) इस निधि का उपयोग व्यापार मेला के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा

(3) इस निधि का धन ग्वालियर में स्थित या तो किसी अनुसूचित बैंक में या सहकारी बैंक में जमा किया जाएगा।

(4) इस निधि को प्राधिकरण के सचिव के या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे इस निमित अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से चलाया जाएगा।

(5) प्राधिकरण समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और एक ऐसा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति में की जाएगी।

11. प्राधिकरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख तक, जैसी कि विहित की जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। वार्षिक रिपोर्ट



12. कोई भी व्यक्ति जो – शास्तियां

(क) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर कोई अप्राधिकृत संनिर्माण करता है ; या

(ख) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत रूप से किसी स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कूड़ा–करकट जमा करने के रूप में प्रयोग करता है ; या

(ग) प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना मेल क्षेत्र के भीतर कोई वृत्ति, व्यापार या आजीविका करता है या ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तो को भंग करता है ; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ; या

(ड़) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक लिखित में जारी किये गए किसी आदेश या निदेशों का उल्लंघन करता है ;

तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, और जहां उपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

13. प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए, जो ऐसे सदस्यों की
सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में सद्भावपूर्वक किया गया है या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद नहीं लाया जाएगा या कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और न ही वह उक्त प्राधिकरण के किसी कार्य या कार्यलोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा.



14. प्राधिकरण सरकार के अनुमोदन से, समय–समय पर अपनी प्रक्रिया को उपविधियां
विनियमित करने के लिए या मेले के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए या मेले के संबंध में कोई फीस या अन्य प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए उपविधियां विरचित कर सकेगा.

15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को उपविधियां
क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतः तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित या किन्ही भी विषयों के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :–

(क) अशासकीय सदस्यों को संदय यात्राा तथा दैनिक भत्त ;

(ख) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और उनको सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते;

(ग) मेला क्षेत्र में स्वच्छता ;

(घ) आग के लगने या उसके फैलने को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना ;

(ड़) व्यापार मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए भवन तथा संरचनाओं की तथा मेले के अन्दर लाई गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना ;

(च) ऐसी शर्ते विहित करना, जिसके अध्यधीन रहते हुए मण्डपों (हट्स) और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा जिनके अंतर्गत आता है ऐसे मण्डपों (हट्स) या संरचनाओं की ऊंचाई की सीमा निश्चित करना तथा वह क्षेत्र जिस पर उनका संनिर्माण किया जाएगा तथा उनके बीच की दूरी ;

(छ) खाना पकाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आग के उपयोग को निबंधित करना ;

(ज) अन्य कोई विषय जिसके विहित करने की अपेक्षा की जए या जो विहित किया जाए;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

निसन

16. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तथा से कवाअद मेला व नुमायश, ग्वालियर, सन् 1934 ई. तथा इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि निरसित हो जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1996

क्र. 14012–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 के अनुसरण में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996 (क्रमांक 22 सन् 1996) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदशानुसार

**आर.के. सिटोके. उपसचिव**